

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 258]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 जून 2020 — ज्येष्ठ 13, शक 1942

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 जून 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 03-42/2019/वा.क.(पं.)/पांच(76).— रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 79 के अधीन प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्र. 818-635-पांच-पृ.आ., दिनांक 24 फरवरी, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

1. रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी में, सरल क्रमांक 59 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
“60. जहां ऐसी संपत्ति का बाजार मूल्य रुपये 75 लाख से कम है अथवा बराबर है, वहां आवासीय मकानों एवं प्लैट्स के विक्रय विलेखों पर पंजीयन शुल्क की वर्तमान दर (संपत्ति के गाईडलाईन मूल्य का चार प्रतिशत) में दो प्रतिशत की छूट प्रदान करती है।”
2. यह अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से दिनांक 31 मार्च, 2021 तक प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., सचिव.

अटल नगर, दिनांक 3 जून 2020

क्रमांक एफ 03-42/2019/वा.क.(पं.)/पांच(76).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड(3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 03-42/2019/वा.क.(पं.)/पांच(76), दिनांक 03 जून 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., सचिव.

Atal Nagar, the 3rd June 2020

NOTIFICATION

No. F 03-42/2019/CT(R)/V(76).— In exercise of the powers conferred by Section 78 of the Registration Act, 1908 (No. XVI of 1908), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification No. 818-635-VSR, dated 24 February, 1975 published under Section 79 of the said Act, namely :-

AMENDMENT

In the said Notification, -

1. In Table of registration fees, after serial number 59, the following shall be substituted, namely :-
"60. Exempts the prevailing rate (four percent of the Guideline value of the property) of Registration fee by two percent, on instruments of Sale of residential houses and flats, where the Market Value of such property is less than or equal to rupees 75 lakh."
2. This notification shall come into force from the date of its publication in Official Gazette upto 31st March, 2021.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANGEETHA P., Secretary.